न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
190 / 2021 / प्रार्थना पत्र	13.09.2021	12.08.2025

अनवान

सोनाथ पुत्र हीरा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थी

:: बनाम ::

1– बन्नालाल पुत्र रामा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
2– कालु पुत्र हीरा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
3– मांगीलाल पुत्र हीरा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
4– रामनाथ पुत्र हीरी खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
5– सणगारी पत्नी हीरा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
6– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री दीपक पारीक	–अभिभाषक प्रार्थीगण
	विपक्षीगण संख्या 1 से 5	–एतरफा कार्यवाही
	विपक्षी संख्या 6	–पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा में स्थित खाता संख्या 180 खसरान किता 12 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 5 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की स्थित है। प्रार्थी आराजी संख्या 597 पर काबिज होकर वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी 597 पर आने जाने कृषि उपकरण एवं फसल आदि लाने ले जाने के लिए राजकीय नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 327 गे.मु.रास्ता से आराजी संख्या 595 जो कुआ है, आराजी संख्या 596 व आराजी संख्या 600 के बीच की मेर पर होता हुआ अपनी आराजी 597 तक पहुंचता है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी वर्षों से निरन्तर बिना किसी बाधा के करता चला आ रहा है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा हाल ही में आराजी सं. 600 के उत्तर दिशा में अपनी आराजी संख्या 595 के पश्चिम में कोने तक दीवार बनाकर प्रार्थी की आराजी पर जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर पहुंचकर काश्त नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैल्पिक रास्ता अपनी आराजी में आने जाने हेतु नहीं है। प्रार्थी को चाहा गया रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी की आराजी काश्त नहीं हो पायेगी। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान होगा क्योंकि प्रार्थी की आजिविका कृषि पर ही निर्भर है। जिससे प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 595, 596 व 600 में से 20 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 597 में पहुंच हेतु विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 595, 596, 600 में से 20 फीट दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 6 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी अपनी शामलाति आराजी संख्या 597 पर आने जाने हेतु गे0मु0 रास्ता आराजी संख्या 327 से आराजी नम्बर 595 गे.मु. आ.चा. की पश्चिमी मेड़ व आराजी संख्या 596 की पश्चिमी मेड़ से होकर रास्ता चाहता है जो वर्तमान में मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा कृषि कार्य हेतु काम आ रहा है। आराजी नम्बर 595 की उत्तर मेड़ पर बीच में रास्ता के लिये फाटक लगा रखी है। जबकि प्रार्थी फाटक के पास पश्चिमी दिशा में पूर्व में संचालित रास्ता चाहता है। इस प्रकार रास्ता पूरा खुलासा है लेकिन केवल प्रवेश के लिए प्रार्थी वर्तमान वाले प्रवेश स्थान के पास 5 मीटर पश्चिम दिशा में चाहता है। बाकि आगे रास्ता खुलासा है। केवल जानवर आदि से सुरक्षा के लिए एक फाटक लगी हुई है। अन्य खातेदार इसी फाटक का उपयोग कर अपने अपने आराजियात पर आते जाते है। मांगा गया रास्ता आवश्यक है, परन्तु मौके पर खुलासा है। चालू रास्ता एवं चाहा गया रास्ता एक ही केवल प्रवेश के स्थान पर फाटक लगा रखी है। प्रार्थी प्रवेश के स्थान पर सुविधानुसार चाहता है।

प्रार्थीगण द्वारा नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:—

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :— प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। भू0अ0निरीक्षक आमली कलां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चाहा गया मार्ग की आवश्यकता है किन्तु मौके पर रास्ता खुलासा है। क्यों कि आराजी संख्या 595 के खातेदार विपक्षी संख्या 01 द्वारा जानवरों से सुरक्षा हेतु रास्ते के प्रवेश स्थान पर एक फाटक लगा रखी है। अन्य खातेदारान उक्त फाटक उपयोग कर अपनी आराजी पर आ जा रहे है। ऐसी स्थित जब मौके पर रास्ता खुलासा होकर रास्ता चालू है एवं अन्य खातेदारान उक्त रास्ते से आ जा रहे है। केवल मात्र प्रवेश स्थान पर फाटक होने से प्रार्थी अपनी सुविधा हेतु अन्य स्थान से रास्ता चाहता है जबकि प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग कर सकता है जैसे अन्य काश्तकार द्वारा किया जा रहा है। अतः चाहा गया रास्ता प्रार्थी की स्वयं की सुविधा हेतु चाहा जाना प्रतीत है।
2. प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 595 में से रास्ता चाहा गया है किन्तु आराजी नम्बर 595 गे0मु0आचा0 दर्ज रेकार्ड है अतः कुए में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।
3. अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। किन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ता खुलासा होकर अन्य खातेदारान उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी केवल प्रवेश स्थान पर फाटक होने से, फाटक से 5 मीटर की दूरी से नवीन रास्ता चाहता है।
4. प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 596 व 600 के बीच की मेर से रास्ता चाहा है किन्तु आराजी संख्या 600 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी 597 पर पहुंच हेतु मौके पर रास्ता खुलासा होकर चालू है केवल प्रवेश स्थान पर फाटक लगी होने से प्रवेश के लिए उसी स्थान से 5 मीटर की दूरी से नवीन रास्ता चाहता है। जबकि अन्य सहखातेदारान उसी रास्ते को उपयोग ले रहे है। अतः केवल मात्र प्रार्थी की सुविधा हेतु नवीन रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा गे0मु0आचा0(कुआ) आराजी नम्बर 595 में से

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा (राज.)

रास्ता चाहा गया। अतः कुए की भूमि से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 596 व 600 के बीच की मेर से रास्ता चाहा है किन्तु आराजी संख्या 600 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने एवं वांछित रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग हेतु चाहे जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा